



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं.52/टीएल/2024

दिनांक: 3.7.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

कोपल II गडग II ट्रांसमिशन लिमिटेड (अब पावरग्रिड कोपल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात), बी-9, कुतब इस्टीमेटेशनलय एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "कर्नाटक में कोपल-II (फेज-ए एंड बी) और गडग-II (फेज-ए) में नवीकरणीय ऊर्जा जोन (फेज-II) के एकीकरण के लिए पारेषण योजना" के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

ए. कर्नाटक में कोपल-II (फेज-ए) और गडग-II (फेज-ए) में नवीकरणीय ऊर्जा जोन (फेज-II) के एकीकरण के लिए पारेषण योजना

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
ए1	400 केवी स्तर पर प्रत्येक 4500 एमवीए के दो (2) खंडों के प्रावधान और 220 केवी स्तर पर प्रत्येक 2500 एमवीए के चार (4) खंडों के प्रावधान के साथ 765 / 400 केवी 2x1500 एमवीए, 400 / 220 केवी, 2x500 एमवीए कोपल-II (फेज-ए) पुलिंग स्टेशन की स्थापना 765 / 400 केवी, 1500 एमवीए, आईसीटी - 2 नंबर (1 स्पेयर यूनिट सहित 7x500 एमवीए) • 765 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर • 400 / 220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी - 2 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर • 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (कोपल-II-नरेन्द्र (नया) 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए कोपल-II पर) • 220 केवी लाइन बे - 4 नंबर • 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे - 1 नंबर • 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे - 1 नंबर भावी स्थान प्रावधान: (फेज-बी के लिए स्थान सहित) • 765 / 400 केवी, 1500 एमवीए, आईसीटी - 5 नंबर • 765 केवी आईसीटी बे - 5 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे - 5 नंबर • 400 / 220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी - 10 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे - 10 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे - 10 नंबर • 765 केवी लाइन बे - 8 नंबर (एसएलआर के लिए प्रावधान) • 400 केवी लाइन बे - 14 नंबर (एसएलआर के लिए प्रावधान) • 220 केवी लाइन बे - 12 नंबर • 220 केवी बस सेक्शनलाइजर: 3 सेट • 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे - 3 नंबर • 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे - 3 नंबर • 400 केवी बस सेक्शनलाइजर: 1 सेट	एसपीवी अंतरण से 24 मास
ए2	कोपल-II पीएस छोर पर 240 एमवीएआर एसएलआर के साथ कोपल-II पीएस - नरेन्द्र (नया) 765 केवी डी/सी लाइन • 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (नरेन्द्र (नया) पर) • कोपल-II पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर एसएलआर - 2 नंबर (1 स्विचबल स्पेयर यूनिट सहित 7x80 एमवीएआर)	
ए3	कोपल-II पीएस पर 2x330 एमवीएआर (765 केवी) एवं 2x125 एमवीएआर (400 केवी) बस रिपेक्टर • 765 केवी, 330 एमवीएआर बस रिपेक्टर - 2 नंबर (बस रिपेक्टर और लाइन रिपेक्टर दोनों के लिए 1 स्विचबल स्पेयर यूनिट सहित 7x110 एमवीएआर) • 765 केवी बस रिपेक्टर बे - 2 नंबर • 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिपेक्टर - 2 नंबर • 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिपेक्टर बे - 2 नंबर	
ए4	400 / 220 केवी, 2x500 एमवीए गडग-II (फेज-ए) पुलिंग स्टेशन की स्थापना • 400 / 220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी - 2 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर • 400 केवी लाइन बे - 2 नंबर (गडग-II-कोपल-II लाइन के समापन के लिए गडग-II पर) • 220 केवी लाइन बे - 4 नंबर • 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे - 1 नंबर • 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे - 1 नंबर भावी स्थान प्रावधान: • 400 / 220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी - 10 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे - 10 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे - 10 नंबर • 400 केवी लाइन बे - 6 नंबर (एसएलआर के लिए प्रावधान) • 220 केवी लाइन बे - 10 नंबर • 220 केवी बस सेक्शनलाइजर: 3 सेट • 220 केवी बस कपलर (टीबीसी) बे - 3 नंबर • 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (बीसी) बे - 3 नंबर	
ए5	गडग-II पीएस - कोपल-II पीएस 400 केवी (क्वाड मूज) डी/सी लाइन • 400 केवी लाइन बे - 2 (कोपल-II पर)	
ए6	गडग-II पीएस पर 2x125 एमवीएआर 420केवी बस रिपेक्टर • 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिपेक्टर - 2 नंबर • 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिपेक्टर बे - 2 नंबर	

बी. कर्नाटक में कोपल-II (फेज-बी) में नवीकरणीय ऊर्जा जोन (फेज-II) के एकीकरण के लिए पारेषण योजना

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
बी1	कोपल-II पीएस छोर पर 330 एमवीएआर एसएलआर के साथ कोपल-II पीएस - रायचूर 765 केवी डी/सी लाइन • 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (कोपल-II पर) • 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (रायचूर पर) • कोपल-II पीएस पर 765 केवी, 330 एमवीएआर एसएलआर - 2 नंबर (6x110 एमवीएआर) • 765 केवी, 330 एमवीएआर एसएलआर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट - 2 नंबर	एसपीवी अंतरण से 24 मास
बी2	कोपल-II पीएस पर 2x1500 एमवीए, 765 / 400 केवी आईसीटी से संवर्धन • 765 / 400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी - 2 नंबर • 765 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर	
बी3	कोपल-II पीएस पर 2x500 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी से संवर्धन • 400 / 220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी - 2 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर • 220 केवी लाइन बे - 4 नंबर • 220 केवी बस सेक्शनलाइजर: 1 सेट • 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे - 1 नंबर • 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे - 1 नंबर	

नोट:

- पावरग्रिड, कोपल-II पीएस - रायचूर 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए रायचूर पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- कार्यान्वयन समय-सीमा: सफल बोलीकर्ता को एसपीवी अंतरण की तारीख से 24 मास।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 29.1.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिक्तों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 52/टीएल/2024 में दिनांक 2.7.2024 के आदेश द्वारा उम्पूक्त पैरा 1 में यथोचित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- कोपल II गडग II ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के सम्म किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसार में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 18.7.2024 तक अद्योस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 22.7.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टोए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव